उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–10

उपस्थित– **माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।**

निर्देश याचिका संख्या–2926/2022

अजय कुमार यादव, उप निरीक्षक, आयु लगभग 35 वर्ष, पुत्र श्री नरेश सिंह यादव, निवासी–ग्राम व पोस्ट आफिस–पटवान, पी0एस0–बदेरू, जनपद–बांदा, वर्तमान तैनाती गदागंज, जनपद–रायबरेली।

याची।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

2. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज, लखनऊ।

3. पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।

प्रतिपक्षीगण।

याची के विद्वान् अधिवक्ता–श्री चन्द्र प्रकाश द्विवेदी।
प्रतिपक्षीगण की ओर से श्री के0पी0 सिंह विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

(द्वारा माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक)।

प्रस्तुत निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 11.04.2022 (संलग्नक–1) तथा विपक्षी संख्या–2 द्वारा दण्डादेश के विरूद्व दाखिल अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.09.2022 (संलग्नक–2) को निरस्त करने हेतु दाखिल की गयी है।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता के अनुसार याची जब वर्ष 2020 में थाना–ऊँचाहार, रायबेरली में नियुक्त था तब थाना–ऊँचाहार पर दिनांक 21.10.2020 को मु0अ0सं0–540/2020 धारा–354/323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना याची को दिनांक 21.10.2020 को सुपुर्द की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान याची द्वारा उक्त अभियोग में किता पर्चे समय से क्षेत्राधिकारी डलमऊ के

कार्यालय में प्राप्त न कराकर सभी एक साथ दिनांक 12.02.2021 को प्राप्त कराये गये। याची द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गयी घोर अनुशासनहीनता, अर्कमण्यता एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में उसके विरूद्व प्रारम्भिक जॉच अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा की गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.06.2021 मय जॉच आख्या उ0प्र0 अधीन्सथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली, 1991 के नियम–4(1)(ख)(4) के अन्तर्गत निर्गत करते हुए उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, परन्तु उस पर बिना कोई विचार किये उस के विरूद्व दण्डादेश दिनांक 11.04. 2022 (संलग्नक–1) पारित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया। याची ने दण्डादेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.09.2022 (संलग्नक–2) द्वारा निरस्त कर दिया। अतः उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3. विपक्षीगण की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि याची जब वर्ष 2020 में थाना–ऊॅचाहार, रायबेरली में नियुक्त था तब थाना–ऊॅचाहार पर दिनांक 21.10.2020 को मु0अ0सं0–540/2020 धारा–354/323/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना याची को दिनांक 21.10.2020 को सुपुर्द की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान याची द्वारा उक्त अभियोग में किता पर्चे समय से क्षेत्राधिकारी डलमऊ के कार्यालय में प्राप्त न कराकर सभी एक साथ दिनांक 12.02.2021 को प्राप्त कराये गये। याची द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गयी घोर अनुशासनहीनता, अर्कमण्यता एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में उसके विरूद्व प्रारम्भिक जॉच अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा की गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.06.2021 मय जॉच आख्या उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली, 1991 के नियम–4(1)(ख)(4) के अन्तर्गत निर्गत करते हुए उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर विचार करते हुए उसके विरूद्व दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 (संलग्नक–1) पारित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया जो सकारण और मुखरित आदेश है। याची ने दण्डादेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय अधिकारी ने सकारण और मुखरित आदेश द्वारा दिनांक 27.09.2022 (संलग्नक–2) को निरस्त कर दिया। याची के

विरूद्व पारित आदेशों में कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। याची द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर याचिका योजित की गयी है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से लिखित कथन के विरूद्व प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया है जिसमें याचिका में कहे गये तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. याची पर आरोप है कि कि उसने मु0अ0सं0–540/2020 की विवेचना उसे दिनांक 21.10.2020 को सुपुर्द की गयी थी। उसके द्वारा सभी किता पर्चे समय से क्षेत्राधिकारी डलमऊ के कार्यालय में प्राप्त न कराकर एक साथ दिनांक 12.02.2021 को प्राप्त कराये गये जिसे उसकी अनुशासनहीनता माना गया।

7. याची ने अपने जॉच बयान में स्पष्ट रूप से बताया था कि उसने नियमानुसार वाद की विवेचना की थी और वाद में पीड़िता के बयान धारा–161 सी0आर0पी0सी0 समय से दर्ज किया था, किन्तु पीड़िता द्वारा धारा–164 सी0आर0पी0सी0 के बयान हेतु तैयार नहीं हो रही थी जिसके लिए उसके परिवार वालों से सम्पर्क किया गया और उसे चार बार नोटिस दी गयी, फिर भी उसके तैयार न होने पर उसके बयान अंकित न कराने के संबंध में पीड़िता और उसके पिता की लिखित तहरीर प्राप्त कर सी0डी0 में संलग्न किया गया। इस प्रकार उसने जानबूझकर विवेचना में कोई लापरवाही नहीं किया। इस तथ्य को उसने अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित करते हुए कहा है कि संसाधन के अभाव एवं काम की व्यवस्तता के कारण समय–समय पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में सी0डी0 पर्यवेक्षण हेतु नहीं भेजी जा सकी इसमें उसका कोई दुराशय नहीं था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **यूनियन आफ इण्डिया बनाम जे0 अहमद 1979(1) एसएलआर–840** में निर्णीत किया है किः–

> ***"Misconduct means, Misconduct arising from ill motive, acts of negligence, Error of Judgemnt or innocent mistake do not constitute such misconduct."***

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"स्टेट आफ पंजाब बनाम राम सिंह भूतपूर्व आरक्षी *A.I.R. 1992 S.C. 2188*** में निर्णीत किया है किः–

> ***"Misconduct may involve moral turputed it must be Improper or wrong behavior, unlawful behavior, willful in character, Forbidden act, a transgression of established and definite rule of action or cade of conduct but not mere error of judgment, Carelessness, or negligence in performance of the duty."***

9. उपरोक्त परिपेक्ष्य में दण्डादेश संलग्नक–1 दिनांक 11.04.2022 के अवलोकन करने से विदित होता है कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी ने अपने दण्डादेश में उल्लिखित किया है कि **"आरोपी उप निरीक्षक द्वारा अपाने स्पष्टीकरण में जो तथ्य अंकित किये गये है, वह तथ्य तर्कहीन/बलहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।"** इस आधार पर पारित किया गया दण्डादेश किसी भी प्रकार से सकारण और मुखरित आदेश नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य 2006 एस0सी0सी0 (एल0 एण्ड एस0) 679** में दी गयी विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जो निम्नवत् है:–

पैरा–5

"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment as applicable and not Rule 55 which relates to major punishment, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issued raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside.

10. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं विवेचना के आधार पर प्रश्नगत् दण्डादेश दिनांकित 11.04.2022 सकारण व मुखरित आदेश न होने के कारण वैधानिक रूप से स्थिर रहने योग्य नहीं है।

11. चूँकि प्रश्नगत् दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 को विधि सम्मत नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में यह विधिक स्थिति है कि जब प्रारम्भिक कार्यवाही/आदेश ही विधि सम्मत नहीं है तब उसके पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही/आदेश भी विधि सम्मत नहीं माने जायेंगे अर्थात *"If the foundation is week, the superstructure collapses"* अतः अपीलीय आदेश 27.09.2022 स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांक 11.04.2022 (संलग्नक–1) तथा अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.09.2022 (संलग्नक–2)

अपास्त किये जाते हैं। याची के सेवा संबंधी जो भी लाभ इन आदेशों के कारण रोके गये हों उन्हें वह नियमानुसार पाने का अधिकारी है। इस निर्णय का अनुपालन निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्रापत होने के 03 माह के अन्दर किया जाये।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्यायिक)

दिनांकः 18 अगस्त, 2026
एम0ए0/पी0एस0।